संख्या-750/2021/4926/41-2021/159(सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 30 दिसम्बर, 2021

विषय:- जनपद अयोध्या में पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने की प्रायोजनाओं में प्रस्तावित उच्च विशिष्टयों के कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-4603/6-1-1(1300)/2021-22**,** दिनांक 15.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने की प्रायोजनाओं में प्रस्तावित उच्च विशिष्टयों के कार्य कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वनसम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

3- अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक/आध्यात्मिक नगरी एवं एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के विश्राम हेतु विभिन्न स्थलों पर विश्राम स्थल बनाये जाने एवं पर्यटन विकास के अन्य कार्य परियोजना में सम्मिलित है। इस विश्राम स्थलों को सनातन परम्पराओं के अनुरूप धार्मिक एवं पौराणिक तथा अयोध्या के वातावरण से तादात्म्य स्थापित करते हुए इनके शीर्ष पर मंदिरों के कलश/शिखर की प्रतिकृति तैयार करने का कार्य शिखर के मद में सम्मिलित किया गया है। विश्राम स्थलों की दीवालों पर रामकथा के विभिन्न कथानकों से जुड़े हुए प्रसंगों एवं संबंधित पर्यटन स्थल के धार्मिक/ सांस्कृतिक महत्व को परिलक्षित करते हुए उन स्थल की दीवालों पर दृश्यावली बनाये जाने का कार्य इण्टरसेप्शन के अन्तर्गत सम्मिलित है। इसी प्रकार विभिन्न विश्राम स्थलों एवं उनके समीप स्थित धार्मिक स्थलों पर स्थल विशेष से संबंधित धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं तथा मान्यताओं को पत्थर पर उत्कीर्ण करते हुए दीवालों पर लगाये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन कार्यो के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्पादन से पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित इन धार्मिक स्थलों के विषय में आमजनों/ श्रद्धालुओं/तीर्थ यात्रियों को स्थल के माहात्म्य का ज्ञान होगा तथा कालान्तर में यह पर्यटन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

4- पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद अयोध्या में पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटन सुविधायें विकसित करने की प्रायोजनाओं हेतु नामित कार्यदायी संस्था -अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा गठित किये गये प्रारम्भिक आगणनों की प्रस्तावित लागत क्रमशः रू0-2380.81 लाख तथा रू0-1615.73 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत क्रमशः रू0 1989.91 लाख तथा रू0-1349.79 लाख संस्तुत की गई है एवं उक्त दोनों परियोजनाओं में सम्मिलित कतिपय कार्य , जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं , के निर्माण से पूर्व उनके प्रयोग पर सक्षम उच्च स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने की अनुशंसा की गई है।

5- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने की प्रायोजनाओं में प्रस्तावित उच्च विशिष्टयों के कार्य कराये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 25.12.2021 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

(क)

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रस्तावित कुल लागत (रूपये लाख में)	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत (रूपये लाख में)	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टि के कार्यों के विवरण पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया	उच्च विशिष्टियों के कार्य की अपरिहार्यता एवं औचित्य
1	2	3	4	5	6
1	जनपद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधायें विकसित करने की परियोजना	रू0 2380.81	रू0 1989.91	प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित स्टोन क्लैडिंग, आर0सी0सी0 वाल पर इण्टरप्रेटेशन , शिखर का निर्माण आदि निर्माण कार्य मदें लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है। अत: इनके निर्माण से पूर्व इनके प्रयोग पर सक्षम उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।	प्रस्तर-3 पर अंकित तथ्यों के दृष्टिगत दोनों परियोजनाओं को अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भव्य रूप प्रदान करने हेतु।
2	जनपद अयोध्या में चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधायें विकसित करने की परियोजना	रू0 1615.73	रू0 1349.79	प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित स्टोन क्लैडिंग ,आर0सी0सी0 वाल पर इण्टरप्रेटेशन ,शिखर का निर्माण आदि निर्माण कार्य मदें लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है। अत: इनके निर्माण से पूर्व इनके प्रयोग पर सक्षम उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) संदर्भगत दोनों परियोजनाओं की अग्रत्तर कार्यवाही में निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

6- जनपद अयोध्या में पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने की प्रायोजनाओं में प्रस्तावित उच्च विशिष्टयों के कार्य कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

''पर्यटन विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटन सुविधाएँ विकसित करने की परियोजनाओं हेतु नामित कार्यदायी संस्था 'अयोध्या विकास प्राधिकरण' द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणनों की मूल्यांकित लागत क्रमशरू :0 1989.91 लाख तथा रू0 1349.79 लाख में प्राविधानित उच्च विशिष्टियों के कार्य यथा स्टोन क्लैडिंग, आर0सी0सी0 वॉल पर इण्टरप्रेटेशन, शिखरकलश का निर्माण आदि निर्माण कार्य/, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यो हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरे प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा ।''

7- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980, गैर वन भूमि/किसी भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976, पर्यावरण (प्रोटेक्शन) अधिनियम-1986, पर्यावरण संघात सूचना 2006 यथासंशोधित, प्रश्नगत क्षेत्र के स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सूचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय पर स्थापित कन्ट्रोल रूम में माध्यम से किये जाने के दृष्टिगत उक्त दोनों इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0पी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाय।

(4) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्तें/प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत के प्रकरणों पर नियमानुसार अनुमति सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 कि0मी0 एवं इको सेंसटीव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मंत्री, पर्यटन, उ0 प्र0 शासन।
2. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7. जिलाधिकारी, अयोध्या।
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।